

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
भोपाल-462004  
आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 2010

क्रमांक. एफ ए 3-01/2010/एक(1)- राज्य शासन, भारत सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये स्वीकृत विशेष पैकेज एवं समन्वित विकास के लिये काम्प्रहेंसिव पैकेज कुल राशि रु. 3760 करोड़ (तीन हजार सात सौ साठ करोड़) मात्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार मंत्रिपरिषद समिति का गठन करना है :-

1. श्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष  
मुख्यमंत्री  
सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन,  
अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हैं
2. श्री राघवजी सदस्य  
मंत्री,  
वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम,  
वाणिज्यिक कर
3. श्री जयंत मलैया सदस्य  
मंत्री,  
जलसंसाधन, आवास एवं पर्यावरण
4. श्री कैलाश विजयवर्गीय सदस्य  
मंत्री,  
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी,  
विज्ञान और टेक्नालॉजी, सार्वजनिक उपक्रम,  
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामोद्योग
5. श्री गोपाल भार्गव सदस्य  
मंत्री,  
सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास
6. श्री सरताज सिंह सदस्य  
मंत्री,  
वन
7. श्री अजय विश्नोई सदस्य  
मंत्री  
पशुपालन, मछली पालन, पिछड़ा वर्ग एवं  
अल्पसंख्यक कल्याण
8. डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया सदस्य  
मंत्री,  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

9. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन

सदस्य

मंत्री,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता

10. श्री करण सिंह वर्मा

सदस्य

मंत्री,

राजस्व, पुनर्वास

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

3/ उक्त समिति समय-समय पर पैकेज के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अनुश्रवण कर नीतिगत निर्णय लेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

—Sd—

(भारती आग्ने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क. एफ ए 3-01/2010/एक(1)

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 2010

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र.भोपाल,
3. निज सचिव, संबंधित मंत्री, म.प्र.भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
5. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव, कार्यालय, म.प्र.भोपाल,
6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क म.प्र., मंत्रालय, भोपाल,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

—Sd—

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग